

## न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 283/2018

दायर दिनांक 10.08.2018

## वादी

1. रहीसा पत्नी हकीम जाति भाट  
निवासी गिरधारीपुरा तहसील  
डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।

## प्रतिवादीगण

1. दराब अली पुत्र हकीम उम्र 30 वर्ष
2. सालम अली पुत्र हकीम उम्र 28 वर्ष
3. मुन्नी पत्नी हकीम उम्र 52 वर्ष
4. शबनम पुत्री हकीम उम्र 35 वर्ष
5. शुभाना पुत्री हकीम उम्र 20 वर्ष
6. साजिदा पुत्री हकीम उम्र 18 वर्ष
7. जमील अली पुत्र हकीम उम्र 40 वर्ष
8. शकील अली पुत्र हकीम उम्र 38 वर्ष
9. इरफान अली पुत्र हकीम उम्र 36 वर्ष
10. अकरम खां पुत्र हकीम उम्र 34 वर्ष
11. नफीसा पुत्री हकीम उम्र 42 वर्ष
12. नीसाद पुत्री हकीम उम्र 25 वर्ष
13. नसीम पुत्री हकीम उम्र 20 वर्ष
14. जुबेदा पत्नी हकीम उम्र 65 वर्ष
15. मजीद खां पुत्र मोमद
16. हबीब पुत्र मोमद
17. शकुर पुत्र मोमद
18. ईसाक पुत्र मोमद
19. गफुर पुत्र मोमद
20. युसुफ पुत्र मोमद
21. खेरदीन पुत्री मोमद
22. सबीर पुत्र मोमद
23. अनवर पुत्र मोमद
24. रजिया पुत्री हकीम
25. शहनाज पुत्री हकीम समस्त जाति भाट  
मुसलमान निवासीगण गिरधारीपुरा तहसील  
डीडवाना जिला नागौर राज0।
26. तहसीलदार डीडवाना।

## बनाम्

## दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकॉर्ड दुरुस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188

## उपस्थित:-

1. श्री शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री मो० रफीक वकील प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 13.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 25 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं० 10 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं० 175/92 रकबा 02 बीघा, खसरा सं० 98 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं० 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा वाकै सरहद गिरधारीपुरा पटवारी हल्का कलवानी भू-अभि० निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील डीडवाना है। जो भूमि संयुक्त खातेदारी में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड वाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 08.03.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।



सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)




तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1690 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1690 दिनांक 08.08.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं० 10 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 175/92 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 98 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद गिरधारीपुरा पटवार हल्का कलवानी, भू-अभिलेख निरीक्षक डीडवाना की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1690 दिनांक 08.08.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1690 दिनांक 08.08.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
R.A.S.  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

डिक्री व मुकदमा में इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना

वइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 283/2018

दायर दिनांक 10.08.2018

वादी

1. रहीता पत्नी हकीम जाति भाट  
निवासी गिरधारीपुरा तहसील  
डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. दराब अली पुत्र हकीम उम्र 30 वर्ष
2. सालम अली पुत्र हकीम उम्र 28 वर्ष
3. मुन्नी पत्नी हकीम उम्र 52 वर्ष
4. शबनम पुत्री हकीम उम्र 35 वर्ष
5. शुमाना पुत्री हकीम उम्र 20 वर्ष
6. साजिदा पुत्री हकीम उम्र 18 वर्ष
7. जमील अली पुत्र हकीम उम्र 40 वर्ष
8. शकील अली पुत्र हकीम उम्र 38 वर्ष
9. इरफान अली पुत्र हकीम उम्र 36 वर्ष
10. अकरम खां पुत्र हकीम उम्र 34 वर्ष
11. नफीसा पुत्री हकीम उम्र 42 वर्ष
12. नीसाद पुत्री हकीम उम्र 25 वर्ष
13. नसीम पुत्री हकीम उम्र 20 वर्ष
14. जुयेदा पत्नी हकीम उम्र 65 वर्ष
15. मजीद खां पुत्र मोमद
16. हबीब पुत्र मोमद
17. शकुर पुत्र मोमद
18. ईसाक पुत्र मोमद
19. गफुर पुत्र मोमद
20. युसुफ पुत्र मोमद
21. खेरदीन पुत्री मोमद
22. सवीर पुत्र मोमद
23. अनवर पुत्र मोमद
24. रजिया पुत्री हकीम
25. शहनाज पुत्री हकीम समस्त जाति भाट  
मुसलमान निवासीगण गिरधारीपुरा तहसील  
डीडवाना जिला नागौर राज0।
26. तहसीलदार डीडवाना।

वनाम्

दावा बाबत


घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-53,88,188 R.T.Act.

दिनांक 13.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री शरीफ शेरांनी वकील, वादीगण व श्री मो0रफीक वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 10 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 175/92 रकबा 02 बीघा, खसरा सं0 98 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा वाकै सरहद गिरधारीपुरा पटवारी हल्का कलवानी भू-अभि0 निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील डीडवाना की भूमि में वादीया घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1690 दिनांक 08.08.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1690 दिनांक 08.08.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
.....खर्चा इस मुकदमा के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.08.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना